


**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR**

Endorsement No. C/3532

Jabalpur, dated 02.9.2016.

The Notification of the Government of M.P. F.No.1/5/96/XXI-B(one)2868/2016, Bhopal, dated 31.8.2016 as per the provisions of Section 3(1) and (2) of the Prevention of Corruption Act, 1988, endorsed to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Acting Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Indore for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officer also,
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information,
6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

  
02.9.2016  
**(Vivek Saxena)**  
**O.S.D. (D.E.)**

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 31 -08-2016

फा.क्र. 1/5/96/21-ब(एक) 2868/2016 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं.49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1/5/96/21-ब(एक) 2051/2016, दिनांक 06.06.2016 को आंशिक अतिरिक्त करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीशों को सारणी के कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुख्यालय के लिए सारणी के कालम (4) में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 उपधारा (1) खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में तथा दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं.25) के अधीन अन्वेषण किये गये अन्य समस्त अपराधों के संबंध में, मामलों के विचारण के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है-

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
1.	श्री बलराज कुमार पलोदा, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर, धार, रतलाम, झाबुआ, भंडसौर, मण्डलेश्वर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, खण्डवा, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर तथा बुरहानपुर."

**NOTIFICATION**


F.N.1/5/96/XXI-B(one)2868/2016 . In exercise of the powers conferred by sub-section (1) section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), and in partial supersession of this departments notification F.No. 1/5/96/XXI-B(One)2051/2016, dated 06.06.2016, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judges specified in column (2) of the Table below to be the Special Judge with the head quarter specified in the corresponding entry in column (3) thereof for the areas comprising in column (4) thereof to try the cases relating to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 3 of the said Act and all other offences investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation, namely:-

//2//

**TABLE**

No.	Name of Judge	Head Quarter	Jurisdiction of special court
"1.	Shri Balraj Kumar Paloda, IVth Additional Sessions Judge, Indore	Indore	Indore, Dhar, Ratlam, Jabua, Mandsaur, Mandleshwar, Ujjain, Dewas, Shajapur, Khandwa, Neemuch, Badwani, Alirajpur and Burhanpur."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

  
५ (विरेन्द्र सिंह) 30.8.16

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 1/5/96/21-ब(एक) 2868/2016.

भोपाल, दिनांक 31-08-2016

पतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, के पत्र क्रमांक C/3068/III-6-4/57-IX, दिनांक 01-08-2016 के संदर्भ में.
2. पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भोपाल.
3. उप नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल (म.प्र. राजपत्र भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।  
( ) केवल मुद्रणालय के लिये।
4. शाखा प्रभारी, आय.टी. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

  
५ (आर) का (क) (क) (क)  
सचिव 29/8/16

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग